न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–63 / 2015–16

रामनंदन सिंह वगैरह बनाम **राज्य एवं नरेश सिंह वगैरह**

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18/12/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08 / 2013–14 में दिनांक–23.11.2015 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। प्रथम पक्ष 1. रामनंदन सिंह, 2. सिताराम सिंह, दोनों पिता–स्व0 जगदेव सिंह, 3. दयानंद सिंह, 4. प्रकाश चंद सिंह, दोनों पिता–स्व0 कृथ सिंह, 5. सितबीया देवी, पति स्व0 प्रमोद सिंह, 6. पिन्टु कुमार, पिता–स्व0 प्रमोद सिंह, सभी मोमीन्दपुर, थाना–फतुहॉ, जिला–पटना। द्वितीय पक्ष 1. राज्य सरकार 2. नरेश सिंह, 3. सुरेश सिंह, 4. सरयुग सिंह, तीनों पिता–स्व0 रेवाचंद सिंह, ग्राम–धनराज टोला, थाना–खुशरूपुर, जिला–पटना। विवादित भूखण्ड का विवरण	

अंचल	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
खुसरूपुर	123	117	1092	0.56 एकड़

इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक–19.08.2017 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। प्रथम पक्ष को दिनांक–22.11.2018 को अंतिम मौका दिया गया, परन्तु प्रथम पक्ष आज भी अनुपस्थित है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक–21.04.2018 को प्रतिउत्तर दायर किया जा चुका है।

प्रथम पक्ष के पुनरीक्षण आवेदन के अनुसार

1. विवादित भूखण्ड सर्वे खतियान में छतरी महतो, को एतवारी महतो

वो पुनाई महतो पेसरान सुमेरा महतो के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है।

2. विवादित भूखण्ड की जमाबंदी अभी भी खतियानी रैयत छतरी महतो एतवारी महतो एवं पुनाई महतो के नाम से चल रही है। विपक्षीगण के द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0–1431/2012–13 अंतर्गत अंचलाधिकारी, खुसरूपुर से अपनी जमाबंदी कायम करवा ली गयी।

3. दाखिल खारिज वाद सं0–1431/2012–13 में दिनांक–29.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08/13–14 दाखिल किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए अपील अस्वीकृत कर दी गयी।

4. दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08/2013–14 में दिनांक–23.11.2015 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन के साथ निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) सर्वे खतियान

(2) दाखिल खारिज वाद सं0–1431/2012–13 में राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन

(3) वंशावली का शपथ–पत्र

विपक्षी सं0 2 से 4 की तरफ से दायर प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

1. यह वाद चलने लायक नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

2. विवादित भूखण्ड पर पुनरीक्षणकर्ता अपना दावा कर रहे है। परन्तु पुनरीक्षणकर्ता के पूर्वजों के द्वारा विवादित भूखण्ड 50 (पचास) वर्ष पूर्व ही विपक्षीगण के पूर्वजों को बिक्री की जा चुकी है। तभी से विवादित भूखण्ड विपक्षीगण एवं उनके पूर्वजों के शांतिपूर्ण दखल में है।

3. विपक्षीगण के पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम थी। पूर्वजों की मृत्यु के उपरान्त विपक्षी सं0 2 से 4 के द्वारा अपने नाम से दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, खुसरूपुर को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 1431/2012–13 के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी के दखल–कब्जा के प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षीगण के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

4. दाखिल खारिज वाद सं0 1431/2012–13 के अन्तर्गत इस वाद के पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा अंचलाधिकारी, खुसरूपुर को आपति दी गयी थी। अंचलाधिकारी, खुसरूपुर के द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक–29.04.13 को विधि सम्मत आदेश पारित किया गया।

5. दाखिल खारिज वाद सं0–1431/2012–13 में दिनांक–

29.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध इस वाद के पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–08/2013–14 दायर किया गया।

6. दाखिल खारिज अपील सं0–08/2013–14 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के द्वारा उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित किया गया, जो पूर्णतः विधि सम्मत है।

पुनरीक्षण आवेदन, विपक्षीगण के प्रतिउतर एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

1. पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विवादित भूखण्ड पर खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अपने पुनरीक्षण आवेदन में खतियानी रैयत छतरी महतो, एतवारी महतो एवं पुनाई महतो के नाम से जमाबंदी कायम रहने की बात कही गयी है, परन्तु जमाबंदी का कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विवादित भूखण्ड पर अपने दखल से संबंधित कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया।

उपर्युक्त परिस्थिति में मेरा यह मत है कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 08/2013–14 में दिनांक–23.11.2015 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। पुनरीक्षणकर्ता विवादित भूखण्ड पर अपने स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

18/1/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

18/1/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना